

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1459]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 10, 2016/ज्येष्ठ 20, 1938

No. 1459]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 10, 2016/JYAISTHA 20, 1938

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(औषध विभाग)

(राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण)

शुद्धिपत्र आदेश

नई दिल्ली, 9 जून, 2016

का.आ. 2062(अ).—राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के का.आ. सं. 1993(अ) दिनांक 3 जून, 2016 असाधारण राजपत्र के नोट (ड) में निम्न प्रतिस्थापन किया जाता है :

“नॉन पीवीसी पैकजिंग हेतु निर्धारित मूल्य का लाभ प्राप्त करने हेतु औषधि निर्माताओं को निर्धारित विशिष्टियों के समर्थन में आवश्यक अभिलेखों के साथ एन.पी.पी.ए को आवेदन प्रस्तुत करना होगा।”

इस प्रकार नोट: (ड) निम्न रूप में पढ़ा जायेगा :

(ड) नॉन पीवीसी पैकजिंग के लिए उपर्युक्त सारणी के स्तंभ 5 में विनिर्दिष्ट अधिकतम कीमत के लिए निम्न विशिष्टियां आवश्यक होंगी (i) स्वयं सिमटने (ii) एयर वेंट नहीं होने (iii) निर्माण एवं एडमिक्सिंग स्तरों पर संदूषण की संभावना न होने वाले पैक। नॉन पीवीसी पैकजिंग हेतु निर्धारित मूल्य का लाभ प्राप्त करने हेतु औषधि निर्माताओं को निर्धारित विशिष्टियों के समर्थन में आवश्यक अभिलेखों के साथ एन.पी.पी.ए को आवेदन प्रस्तुत करना होगा अन्यथा पीवीसी पैक के लिए अधिकतम कीमत इस तरह के नॉन-पीवीसी पैकेजिंग के लिए भी लागू होगी।

[पीएन/164/32/2016/एफ/फा. सं. 8(32)/2016/डी.पी/एनपीपीए-डिवी.- II]

बलजीत सिंह, उप निदेशक

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS**(Department of Pharmaceuticals)****(NATIONAL PHARMACEUTICALS PRICING AUTHORITY)**

New Delhi, the 9th June, 2016

CORRIGENDUM ORDER

S.O. 2062(E).—In the National Pharmaceutical Pricing Authority's notification S.O. 1993(E), dated 3rd June, 2016, published in the Gazette of India, Extraordinary, following shall be inserted in Note (e):

“The manufacturer intending to avail the ceiling prices for such Non-PVC packaging shall approach NPPA alongwith documents supporting such features, demonstrate and take approval for admissibility of prices for Non-PVC packaging.”

Therefore the Note (e) shall be read as follows:

“(e) For formulation in Non-PVC packaging, ceiling price mentioned in column (5) of the above said table shall be admissible provided such packs are (i) self collapsible; (ii) not having air-vent; and (iii) there is no chance of contamination at manufacturing as well as admixing levels. The manufacturer intending to avail the ceiling prices for such Non-PVC packaging shall approach NPPA alongwith documents supporting such features, demonstrate and take approval for admissibility of prices for Non-PVC packaging. Otherwise the ceiling price for PVC packs shall be applicable for such Non-PVC packaging also.”

[PN/164/32/2016/F/F. No. 8(32)/2016/D.P./NPPA-Div. II]

BALJIT SINGH, Assistant Director